न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
92/2022	20.05.2022	5/2/26

सीताराम पुत्र ज्वारया, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर —प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता ज्वारया पुत्र रतनलाल की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 166 ख0न0 2813 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2814 रकवा 0.56 है0, ख0न0 2815 रकबा 0.20 है0, ख0न0 3094 रकबा 0.10 है0, ख0न0 3095 रकबा 0.26 है0, ख0न0 3134 रकबा 0.20 है0, ख0न0 3115 रकबा 0.14 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.66 है0 ग्राम उदेईखुर्द, भूमि खाता खाता संख्या 178 ख0न0 3981 रकबा 0.27 है0 हिस्सा 1/4 ग्राम उदेईखुर्द, खाता संख्या 179 ख0न0 3194 रकबा 1.56 है0, ख0न0 3235 रकबा 1.13 है0, ख0न0 4132 रकबा 0.78 है0 ग्राम उदेईखुर्द, खाता संख्या 180 ख0न0 4011 रकबा 0.33 है0, ख0न0 4036 रकबा 0.76 है0 ग्राम उदेईखुर्द, खाता संख्या 185 ख0न0 3584 रकबा 1.32 है0, ख0न0 3604 रकबा 0.16 है0 ग्राम उदेईखुर्द रही है। जिसे प्रार्थी व उसके भाई कब्जा काश्त कर फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे है। भूमि खाता संख 166 मे प्रार्थी के पिता का नाम जुवारया पुत्र रतन दर्ज है, खाता संख्या 178 मे जुवारिया पुत्र रतनलाल दर्ज है। खाता संख्या 179 मे जुवारिया पुत्र रतन दर्ज है। खाता संख्या 180 मे जवारिया पुत्र रतनलाल दर्ज है। खाता संख्या 185 मे जवाहर पुत्र रतना दर्ज है जबकि रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम ज्वारया पुत्र रतनलाल है। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजो मे प्रार्थी के पिता का यही नाम दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 166, 179, 180, 185 मे दर्ज प्रार्थी के पिता का गलत नाम शुद्ध किया जाकर सही नाम ज्वारया पुत्र रतनलाल दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2076—79 खाता संख्या 178, 166, 179, 180, 185 ग्राम उदेईखुर्द, फोटोकॉपी बैंक पास बुक, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता [illegible] प्रस्तुत किये है एवं सरपंच ग्राम पंचायत उदेईखुर्द द्वारा दिनांक 22.11.2021 को जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/831 दिनांक 08.10.2024 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी वकील ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इसके अनुसार अभिलेख मे शुद्धि करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। ग्राम उदेईखुर्द 'ब' के खाता संख्या 179, 180, 185 मे प्रार्थी के पिता का नाम ज्वारया दर्ज है। इसलिए इन खातों मे संशोधन की आवश्यकता नही है। ग्राम उदेईखुर्द के पटवार हल्का उदेईखुर्द 'अ' के खाता संख्या 166 मे दर्ज खातेदारान 1 ता 4, 6 के पिता का नाम जुवारिया दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाकर ज्वारया दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उदेईखुर्द के पटवार हल्का उदेईखुर्द 'अ' तहसील वजीरपुर की जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 166 मे दर्ज नाम जुवारिया के स्थान पर ज्वारया दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश भी दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:28 IST
Reason: SelfAttested